मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी مولانا آزاد نیشنل اُردو یونیورسٹی
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY
A Central University under Ministry of Education
Government of India

सं. मानू/हिन्दी प्रकोष्ठ/2023/१२१० दिनांक: १७ मार्च, 2023

परिपत्र

यह परिपत्र उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या 13035/1(1)/2021-रा.भा.ए. दिनांक 10.06.2022 तथा यू.जी.सी., शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र संख्या 1-3/2022 (राजभाषा) दिनांक 10.06.2022 के संदर्भ में जारी किया गया है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुसार केन्द्र सरकार के द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में सभी कार्यालयी कार्य द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगें।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

तदनुसार, सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / अनुभाग अध्यक्षों / प्रभारी तथा हिन्दी पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि, राजभाषा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत वह अपने आधिकारिक कार्यो के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान दें।

यदि हिन्दी में सहायता की आवश्यकता हो तो, हिन्दी प्रकोष्ठ से संपर्क किया जा सकता है।

17.3.23

प्रभारी कुलसचिव

कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्चीबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.

सेवा में
मुख्यालय/ऑफ कैम्पस के सभी संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों/ प्रधानाचार्यो/ प्रभारी कुलानुशासक, संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, प्रोवोस्ट(पुरुष एवं महिला)

प्रति :

1. *कुलपति/कुलसचिव /ओएसडी- I / ओएसडी- II /वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय / पुस्तकालयाध्यक्ष*
2. *सभी हिन्दी पारंगत उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थी*
3. *निदेशक, सीआईटी (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ)*
4. *संबंधित फाइल*